न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री लाखाराम, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : (103/16) 191/2019

–:: वादी ::– बनाम –:: प्रतिवादी ::–

1. अबाराम पुत्र दत्तक पुत्र लाबुराम जाति–सीरवी निवासी– बेरा भादवा आगेवा, तहसील–जैतारण जिला–पाली।

1. तहसीलदार जैतारण

राजस्व वाद बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.13/05/2016

उपस्थितः–

1. श्री भगवती प्रसाद पटेल अधिवक्ता, वादीगण।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः– 13/02/2020

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 व 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रति. के इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौज– आगेवा पटवार हल्का आगेवा तहसील– जैतारण जिला–पाली राज. में वादी के पिता स्वर्गीय लाबुराम पुत्र छोगाराम के नाम की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की कृषि भूमि स्थित हैं। जिस पर वादी का ही मौके पर कब्जा काश्त की कृषि भूमि स्थित हैं। जिस पर वादी का ही मौके पर कब्जा काश्त है एवं बिना किसी रोक टोक के शांतिपूर्वक इसका उपयोग उपभोग करता आ रहा है। जिसके खाता संख्या 06 खसरा नंबर का 435 रकबा 158–10 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नंबर 480 रकबा 03–02 बीघा किस्म गै.मु. बेरा, खसरा नंबर 481 रकबा 19–06 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नंबर 482 रकबा 02–06 बीघा किस्म चाही दोयम, कुल खसरा 04 रकबा 183–04 बीघा, खाता संख्या 07 खसरा नंबर 478 रकबा 47–00 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नंबर 484 रकबा 16–16 बीघा किस्म चाही दोयम कुल खसरा 02 रकबा 63–16 बीघा है। उक्त आराजी की कृषि भूमि में वादी का हिस है। इसी हिस्से माफिक मौके पर कब्जा काश्त है और शांतिपूर्वक बिना किसी रोक टोक के उपयोग करता आ रहा है। वादी अबाराम स्वर्गीय लाबुराम पुत्र श्री छोगाराम का गोद पुत्र है। जो सामाजिक रितिरिवाज के अनुसार स्वर्गीय लाबुराम के कोई जायन्दा संतान पुत्र पुत्रीयां नहीं होने से इसने अपने जीवन–काल में मोलिया बंधा कर ग्राम आगेवा में ग्राम के मौजिज व्यक्तियों एवं परिवार के सदस्यों के समक्ष गोद लिया था। तब से लेकर आज तक उक्त आराजी की कृषि भूमि पर काबिज है। इसके बाद में दिनांक 07.05.2000 को वादी के पिता लाबुराम पुत्र छोगाराम की मृत्यु होने जाने के बाद स्वर्गीय लाबुराम पुत्र छोगाराम की चल एवं अचल सम्पति पर वादी ही काबिज हैं। और उक्त वाद पत्र के पैरा संख्या 02 में वर्णित आराजी की कृषि भूमि पर भी

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

Scanned with CamScanner

मालिकाना अधिकार के रूप में बिना किसी रोक टोक के कब्जा काश्त है। इसके अलावा किसी को कोई आपत्ति नहीं है। स्वर्गीय लाबुराम पुत्र छोगाराम के फौत होने के बाद सारा पिण्डदान बारहवां का सारा खर्चा भी वादी अब्बाराम ने ही वहन किया था। इसलिये वादी गोद पुत्र होने एवं स्वर्गीय लाबुराम की सारी चल एवं अचल सम्पति पर उत्तराधिकारी एवं वारिसान के रूप में काबिज है एवं एक मात्र मालिकाना अधिकार वादी का ही है, और बिना किसी रोक टोक के वाद पत्र के पैरा संख्या 01 में वर्णित आराजी की कृषि भूमि पर काबिज है। और बिना किसी रोक टोक शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करता आ रहा है। मृत्यु प्रमाण-पत्र की फोटो स्टेट प्रति इस वाद पत्र के साथ संलग्न है, जो इसका एक भाग माना जावें। वादी स्वर्गीय लाबुराम का गोद पुत्र है। इस हैसियत से फौतेदगी म्यूटेशन के जरिये अपना नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाने हेतु वादी ने प्रार्थना पत्र तहसीलदार जैतारण के समक्ष पेश किया। जिस पर तहसीलदार, जैतारण ने हल्का पटवारी को जांच कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु हल्का पटवारी को लिखा गया। जिस पर हल्का पटवारी आगेवा ने दिनांक 01.03.2016 को मौके पर जाकर रूबरू मौतबिरान एवं सहखातेदारान की उपस्थिति में मौका देख कर फर्द मौका रिपोर्ट बना कर मौके पर मौजूद व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवा कर तहसीलदार जैतारण को फर्द मौका रिपोर्ट पेश की। मौका रिपोर्ट में हल्का पटवारी ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि लाबुराम पुत्र छोगाराम उसकी पत्नी माडकी की मृत्यु हो चुकी हे। एवं इनके कोई जायन्दा पुत्र व पुत्रीयां नहीं है। कथित तौर पर लाबुराम के द्वारा अपने जीवन काल में अपने भाई का पुत्र अब्बाराम पुत्र भीयाराम को गोद लेना बताया गया। उपस्थित मौतबिरान ने बताया कि कानून की जानकारी नहीं होने से गोदनामा पंजीयन नहीं करवाया गया। स्वर्गीय लाबुराम पुत्र छोगा की खातेदारी कृषि भूमि पर वादी अब्बाराम काबिज है। और शांतिपूर्वक उपयोग एवं उपभोग करता आ रहा है। अबाराम स्वर्गीय लाबुराम पुत्र छोगा का विधिक गोद पुत्र हैं। एवं विधिक उतराधिकारी हैं। इसके अलावा अन्य कोई विधि उतराधिकारी नहीं है। सबूत के तौर पर राशनकार्ड, गैस कनेक्सन की डायरी, चुनाव परिचय पत्र, आधार कार्ड, पंजाब नेशनल बैंक खाता की फोटो स्टेट प्रति, नरेगा जॉब कार्ड की फोटो की प्रति इस वाद के साथ संलग्न है, जिमें वादी के नाम के आगे वलदित में लाबुराम नाम लिखा हुआ है। इसके उपरान्त भी प्रतिवादी तहसीलदार, जैतारण व हल्का पटवारी ने वादी अबाराम का नाम जरिये फौतेदगी म्यूटेशन के नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं किया। इस वजह से वादी की तरफ से प्रतिवादी के विरूद्ध दावा बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया जा रहा है। वाद पत्र के साथ पत्र प्रस्तुत दस्तावेज एवं मौके पर कब्जा काश्त होने से प्रथम दृष्टिया मामला वादी के हक में बखूबी साबित हैं। और सुविधा का संतुलन भी वादी के हक में होने से यह वाद पत्र घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है, जो आज ही नोटिस डिस्पेन्स विद किये जाने का आदेश फरमावें। यह है कि बिनाय दावा दिनांक 1.3.2016 को वादी का नाम जरिये फौतेदगी म्यूटेशन में राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं करने के कारण एवं तहसील कार्यालय, जैतारण से दिनांक 06.05.2016 को जमाबंदी की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने पर बमुकाम ग्राम आगेवा में पैदा हुआ जो अन्दर म्याद श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार का होने से पेश किया जा रहा है।

इस पर वादी का वादपत्र पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये नोटिस के तलब किये गये। प्रतिवादी तहसीलदार, जैतारण ने जवाब पेश किया, जो सा.मि. है। जवाबदावे में व्यक्त किया कि पटवारी आगेवा ने अपनी जांच रिपार्ट में

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

Scanned with CamScanner

बताया कि लाबू पुत्र छोगा व माडकी पत्नी लाबू दोनों ही फौत हो चुके है। इनके कोई जायन्दा पुत्र व पुत्रीयां नहीं है तथा दोनों ने अपने जीवनकाल में कोई गोदनामा लिखा जाकर पंजीयन करवाना नहीं पाया गया। ऐसी स्थिति में उतराधिकारी नियत करने के लिए सक्षम न्यायालय का प्रमाण-पत्र आवश्यक है। प्रमाण पत्र के अभाव में किसी को भी गोद पुत्र घोषित किया जाना उचित नहीं समझते है।

हमने प्रकरण में निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किये।

1- आया मौजा- आगेवा में स्थित खसरा नंबर 435, 480, 481, 482, 478, 484 कुल रकबा 247-00 बीघा कृषि भूमि में स्वर्गीय लाबूराम के हिस्से की कृषि भूमि पर वादी अब्बाराम गोदपुत्र की हैं। स्थित के काबिज है।

--जिम्मे वादी--

2- आया वादी अब्बाराम स्वर्गीय लाबूराम का गोदपुत्र है वाद-पत्र के पैरा संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि स्वर्गीय लाबूराम के हिस्से की कृषि भूमि पर मालिकाना अधिकार के कब्जा काश्त है।

--जिम्मे वादी--

3- आया वादी स्वर्गीय लाबूराम का गोदपुत्र की हैं लिप्त से उतराधिकारी होने से जरिये घोषणा के खातेदारी में नाम अमल दरामद करवाने का अधिकारी है।

--जिम्मे वादी--

4- अन्य अनुतोष

5- आया वादी गोदनामा लिखा जाकर पंजीयन नहीं करवाया जाने से वादी का वाद खारिज योग्य है।

--जिम्मे प्रतिवादी--

6- आया इसी उतराधिकारी नियत करने हेतु समक्ष न्यायालय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर वाद लाने का अधिकारी है।

--जिम्मे प्रतिवादी --

7- अन्य

वकील वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में साक्ष्य के तौर पर स्वयं वादी अब्बाराम का साक्ष्य शपथ पत्र पी डब्ल्यू-1 गवाह ओगड़राम पुत्र दीपाराम पी डब्ल्यू-2 गवाह भूराराम पुत्र भींयाराम पी डब्लयू-3 एवं गवाह लादूराम पुत्र भीयाराम पी डब्ल्यू-4 पेश किए, जो सामिल पत्रावली है।

हमनें उभयपक्षकारान की बहस सुनी तथा उन पर मनन किया तथा पत्रावली व उस पर उपलब्ध दस्तवेजात का भलीभांति अवलोकन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया । हम प्रकरण का विवाद्यकों के अनुसार पृथक-पृथक विवेचन करते हुए निर्णय करना आवश्यक एवं उचित समझते हैं जो निम्नानुसार है:-

1- आया मौजा- आगेवा में स्थित खसरा नंबर 435, 480, 481, 482, 478, 484 कुल रकबा 247-00 बीघा कृषि भूमि में स्वर्गीय लाबूराम के हिस्से की कृषि भूमि पर वादी अब्बाराम गोदपुत्र की हैं। स्थित के काबिज है।

--जिम्मे वादी--

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी वादी की थी। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में ग्राम-आगेवा, पटवार हल्का-आगेवा, तहसील-जैतारण जिला-पाली की विवादित आराजी खाता संख्या 06 खसरा नंबर का 435 रकबा 158-10 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नंबर 480 रकबा 03-02 बीघा किस्म

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

Scanned with CamScanner

गै.मु. बेरा, खसरा नंबर 481 रकबा 19-06 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नंबर 482 रकबा 02-06 बीघा किस्म चाही दोयम, कुल खसरा 04 रकबा 183-04 बीघा की जमाबंदी संवत 2069-2072 तथा खाता संख्या 07 खसरा नंबर 478 रकबा 47-00 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नंबर 484 रकबा 16-16 बीघा किस्म चाही दोयम कुल खसरा 02 रकबा 63-16 बीघा की जमाबंदी संवत 2069-2072 तथा अप्रमाणित प्रतिलिपि मौका फर्द दिनांक 1.03.2016, मृतक लाबुराम के मृत्यु प्रमाणपत्र की अप्रमाणित प्रति, लाबूराम पुत्र छोगाराम के मतदाता पहचान पत्र की अप्रमाणित प्रति, अब्बाराम पुत्र लाबुराम के नाम से जारी आधार कार्ड की अप्रमाणित प्रति, अब्बाराम पुत्र लाबुराम के नाम जारी गैस कनेक्शन की अप्रमाणित प्रति, अब्बाराम पुत्र लाबूराम के नाम जारी मनरेगा जॉब कार्ड की अप्रमाणित प्रति, तथा अब्बाराम पुत्र लाबूराम के नाम से ग्राम पंचायत आगेवा द्वारा जारी परिवार राशनकार्ड की अप्रमाणित प्रति, प्रस्तुत की। तथा स्वयं के शपथपत्र के साथ-साथ ओगड़राम पुत्र दीपाराम, भूराराम पुत्र भींयाराम, तथा लादूराम पुत्र भींयाराम के बतौर गवाह शपथपत्र प्रस्तुत किये।

वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी संवत 2069-2072 के अवलोकन से स्पष्ट है कि लाबू पि. छोगा तथा अबाराम पि. भींयाराम बतौर सहखातेदार दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि वादी अबाराम द्वारा विरासत से अपने पिता भींयाराम की पैतृक आराजी में हक-हिस्सा प्राप्त किया है। जब वादी जैसा कि उसने दावा किया है कि वह मृतक खातेदार लाबूराम का गोदपुत्र है तो वह अपने जैविक पिता भींयाराम की आराजी में हक-हिस्सा कैसे प्राप्त कर सकता है? इस संबंध में वादी ने कोई कथन नहीं किया है वादी द्वारा यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि उसे मृतक खातेदार लाबूराम द्वारा कब गोद लिया गया? तथा उस समय उसकी उम्र क्या थी आदि-आदि। वादी द्वारा मृतक खातेदार लाबुराम का गोदपुत्र होने के कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि वादी द्वारा मृतक खातेदार लाबूराम के निस्संतान फौत होने की दशा में कानूनन द्वितीय श्रेणी के वारिसान को न तो हस्तगत प्रकरण में बतौर पक्षकार संयोजित किया है और न ही उनके संबंध में कोई पारिवारिक सजरा प्रस्तुत किया है तथा न ही उनमें से किसी की साक्ष्य करवायी है। वादी द्वारा प्रस्तुत परिवार राशनकार्ड, आधार कार्ड, जॉबकार्ड, गैसकनेक्शन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि की अप्रमाणित प्रतियां जिनमें वादी को लाबुराम के पुत्र के रूप में अंकित किया हुआ है, के संबंध में यह स्पष्ट है कि ऐसे दस्तावेज एवं प्रमाणपत्र किसी भी व्यक्ति के कानूनन उत्तराधिकारी/वारिसान की सत्यता की पुष्टि के प्रमाण नहीं होते हैं। अतः इनमें दर्ज प्रविष्टि के आधार पर वादी को मृतक लाबूराम का गोदपुत्र कानूनन नहीं माना जा सकता। वादी द्वारा अपने वादपत्र एवं साक्ष्य शपथपत्र में यह कहीं उल्लेख नहीं किया है कि उसे कितनी आयु वर्ष में गोद लिया गया था? किस तारीख को गोद लिया गया? वक्त गोद मृतक लाबुराम की पत्नी जीवित थी या नहीं, यदि जीवित थी तो उसकी पत्नी की सम्मति ली गई या नहीं? यदि ली गई तो किस रूप में ली गई? वक्त गोद वादी विवाहित था या अविवाहित तथा गोद की रस्म के दौरान किन-किन प्रथाओं का पालन किया गया था तथा ऐसी प्रथा/रस्म वादी के समाज/हिन्दू समुदाय में प्रचलित है या नहीं, के संबंध में वादी द्वारा न तो कथन किया गया है और न ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। अतः ऐसी दशा में वादी अबाराम को मृतक खातेदार लाबुराम का गोदपुत्र माना जाना विधिसंगत प्रतीत नहीं होता है तथा वादी इसे साबित करने में पूर्णतया असफल रहने से यह तनकी विरुद्ध वादी एवं बहक प्रतिवादी निर्णीत की जाती है।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

Scanned with CamScanner

2- आया वादी अब्बाराम स्वर्गीय लाबूराम का गोदपुत्र है वाद-पत्र के पैरा संख्या 01 में दर्शित कृषि भूमि स्वर्गीय लाबूराम के हिस्से की कृषि भूमि पर मालिकाना अधिकार के कब्जा काश्त है।

--जिम्मे वादी--

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी वादी की थी। पूर्व निर्णीत तनकी संख्या 01 के विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादी अबाराम वादग्रस्त आराजी के खातेदार लाबुराम का गोदपुत्र नहीं है साथ ही वादी ने इस तनकी को साबित करने के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है। जब वादी खातेदार लाबुराम का कानूनी रुप से गोदपुत्र ही साबित नहीं होता है तब यह नहीं माना जा सकता कि वादी वादग्रस्त आराजी पर स्वर्गीय लाबुराम के हिस्से की कृषि भूमि पर मालिकाना अधिकार के कब्जाकाश्त है। अतः यह तनकी भी साबित नहीं होने से विरुद्ध वादी बहक प्रतिवादी निर्णीत की जाती है।

3- आया वादी स्वर्गीय लाबूराम का गोदपुत्र की हैं लिप्त से उतराधिकारी होने से जरिये घोषणा के खातेदारी में नाम अमल दरामद करवाने का अधिकारी है।

--जिम्मे वादी--

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी वादी की थी। पूर्व निर्णीत तनकी संख्या 01 और 02 के विवेचनों से स्पष्ट है कि वादी अबाराम वादग्रस्त आराजी के खातेदार लाबुराम का गोदपुत्र नहीं है। अतः जब वादी लाबुराम का कानूनन गोदपुत्र ही नहीं है तो खातेदार लाबुराम का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता है। अतः वादी अबाराम खातेदार लाबुराम का कानूनन गोदपुत्र नहीं होनें एवं उत्तराधिकारी नहीं होने से खातेदारी अधिकारों की घोषणा करके उसका नाम अमल दरामद करवाना विधिसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः यह तनकी साबित नहीं होने से विरुद्ध वादी बहक प्रतिवादी निर्णीत की जाती है।

4- अन्य अनुतोष

पूर्व निर्णीत तनकीयात वादी के विरुद्ध निर्णीत की जा चुकी है अतः हम वादी को कोई अन्य अनुतोष प्रदान करना विधिसंगत नहीं समझते हैं। लिहाजा यह तनकी विरुद्ध वादी बहक प्रतिवादी निर्णीत की जाती है।

5- आया वादी गोदनामा लिखा जाकर पंजीयन नहीं करवाया जाने से वादी का वाद खारिज योग्य है।

--जिम्मे प्रतिवादी--

पूर्व निर्णीत तनकी संख्या 01, 02, 03 के विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादी अबाराम, वादग्रस्त आराजी के खातेदार लाबुराम का गोदपुत्र नहीं है तथा न ही उसे खातेदार लाबुराम की आराजी में कोई उत्तराधिकार साबित हुए हैं। तथा उपर्युक्त तीनों विवाद्यक वादी के विरुद्ध निर्णीत हो चुके हैं तहसीलदार जैतारण के जवाबदावा के अनुसार खातेदार लाबूराम तथा उसकी पत्नी दोनों फौत हो चुके हैं परन्तु वादी द्वारा उक्त दम्पति द्वारा वादी के पक्ष में निष्पादित कोई गोदनामा प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा वादी ने प्रति. के उक्त कथनों का खण्डन नहीं किया है। लिहाजा उक्त तनकी भलीभांति साबित होने से बहक प्रतिवादी विरुद्ध वादी निर्णीत की जाती है।

6- आया इसी उतराधिकारी नियत करने हेतु समक्ष न्यायालय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर वाद लाने का अधिकारी है।

--जिम्मे प्रतिवादी-

सहायक कलक्टर
(प्रभार टेक) जैतारण

Scanned with CamScanner

तनकी संख्या 01, 02, 03 एवं 05 के निर्णय से स्पष्ट है कि बाबूराम पुत्र छोगाराम का वादी अबाराम विधिक गोदपुत्र साबित नहीं होने से उत्तराधिकारी नियत नहीं होता है। वादी द्वारा सक्षम न्यायालय द्वारा जारी कोई उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। अतः यह तनकी भी वादी के विरुद्ध एवं बहक प्रतिवादी साबित होने से इसी कदर निर्णीत की जाती है।

7- अन्य

पूर्व निर्णीत तनकी संख्या 05, 06 बहक प्रतिवादी निर्णीत की जा चुकी है। तथा हम कोई अन्य अनुतोष दिया जाना अपेक्षित नहीं समझते हैं। अतः यह तनकी इसी कदर निर्णीत की जाती है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवाद्यकों के पृथक–पृथक निर्णयों के आलोक में निष्कर्षतः वाद वादी अंतर्गत धारा 88, 92ए ,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा, ग्राम– आगेवा, पटवार हल्का–आगेवा, तहसील–जैतारण जिला–पाली की आराजी खाता संख्या 06 खसरा नंबर 435 रकबा 158–10 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नंबर 480 रकबा 03–02 बीघा किस्म गै.मु. बेरा, खसरा नंबर 481 रकबा 19–06 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नंबर 482 रकबा 02–06 बीघा किस्म चाही दोयम, कुल खसरा 04 रकबा 183–04 बीघा, खाता संख्या 07 खसरा नंबर 478 रकबा 47–00 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नंबर 484 रकबा 16–16 बीघा किस्म चाही दोयम कुल खसरा 02 रकबा 63–16 बीघा भूमि, वादी के पक्ष में भलीभांति साबित नहीं होने तथा सारहीन होने से खारिज़/अस्वीकार किया जाता है। पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का अभिन्न भाग होगा। पत्रावली इसी माफिक फैसल शुमार होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर जैतारण
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
जैतारण (जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 13/02/2020 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर जैतारण
(फास्ट ट्रेक)
जैतारण (जिला–पाली)

Scanned with CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.
ईजलास :– श्री लाखाराम , आर0ए0एस0

–:: वादी ::– बनाम –:: प्रतिवादी ::–

2. अबाराम पुत्र दत्तक पुत्र लाबुराम जाति–सीरवी निवासी– बेरा भादवा आगेवा, तहसील–जैतारण जिला–पाली।

2. तहसीलदार जैतारण

राजस्व वाद बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञ अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु.न :–(103/16)191/19

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....–..... व हाजरी श्री भगवतीप्रसाद पटेल, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्धई व मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि उपर्युक्त विवाद्यकों के पृथक–पृथक निर्णयों के आलोक में निष्कर्षतः वाद वादी अंतर्गत धारा 88, 92ए ,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा, ग्राम– आगेवा, पट्वार हल्का–आगेवा, तहसील–जैतारण जिला–पाली की आराजी खाता संख्या 06 खसरा नंबर 435 रकबा 158–10 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नंबर 480 रकबा 03–02 बीघा किस्म गै.मु. बेरा, खसरा नंबर 481 रकबा 19–06 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नंबर 482 रकबा 02–06 बीघा किस्म चाही दोयम, कुल खसरा 04 रकबा 183–04 बीघा, खाता संख्या 07 खसरा नंबर 478 रकबा 47–00 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नंबर 484 रकबा 16–16 बीघा किस्म चाही दोयम कुल खसरा 02 रकबा 63–16 बीघा भूमि, वादी के पक्ष में भलीभांति साबित नहीं होने तथा सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक फैसल शुमार होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत.....–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ...–.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 13/02/2020 को सरे ईजलास जारी किया गया ।

मोहर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण
जैतारण (जिला–पाली)

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	01	00	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	01	00	महनताना वकील		
महनताना वकील	01	00	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान		–	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर	12	00	बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा		–	मुत्फरिक		
मिजानः–	05	00	मिजानः–		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2020.02.24 19:29:35 IST
Reason: SelfAttested
Location: